परिशिष्ट

देखिए नियम –6

फार्म–क

सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताओं की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए

क्रं0सं0	प्रस्ताव	
1.	परियोजना का विवरण	
(i)	अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियेाजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	वाराणसी–शक्तिनगर मार्ग (राज्य राजमार्ग संख्या–5ए) जनपद मिर्जापुर में नरायनपुर से प्रारम्भ होकर सोनभद्र, डाला होते हुए शक्तिनगर तक जाता है। यह एक पुराना राज्य राजमार्ग है। इस पर पत्थर की खदानों एवं सीमेंट उधोग से सम्बन्धित विभिन्न वाहनों का आवागमन बढ़ जाने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती है। परिणामस्वरूप यातायात घनत्व के बढ़ते दबाव के कारण दुर्घटनाओं को कम करने व सुरक्षित एवं तीव्र यातायात के उद्देश्य को पूरा करने हेतु दीर्घ अवधि से लंबित माँग के कारण इस मार्ग के यातायात घनत्व की गणना कराते हुए इसे 4–लेन विद पेव्ड शोल्डर मार्ग के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता है। शासनादेश दिनांक 14 मई, 2010 के अनुसार इस भाग में राज्य राजमार्ग को पी0पी0पी0 पद्धति से विकसित कराये जाने की योजना लागत (लगभग रू0 52.69 करोड़) की बनायी गयी है। इस राज्य राजमार्ग के इस भाग के विकास हेतु चयनित विकासकर्ता को शीघ्र ही सौंपा जाना है। अतएव यथास्थान निम्नलिखित दिये गये विवरण के आधार पर इस राज्य राजमार्ग पर स्थित जनपद मिर्जापुर के क्षेत्र में स्थित वृक्षों आदि को मार्ग विकास के दृष्टिकोण से हटाया जाना प्रस्तावित है। तद्नुसार परियोजना को पूर्ण करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत निम्न दो बिन्दुओ पर अनुमति की आवश्यकता है। 1–मीरजापुर वन प्रभाग के अन्तर्गत उक्त राजमार्ग के कि0मी0 5.050 से कि0मी0 10.050 तक के भाग में 09.00 हे0 संरक्षित वनभूमि पर गैरवानिकी कार्य करने की

		अनुमति। 2– उक्त 9.00 हे0 संरक्षित वन भूमि पर खड़े कुल 672 वृक्षो के पातन की अनुमति।
(ii)	1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	: संलग्नं है।
(iii)	परियोजना की कुल लागत	: अनुमानित लागत रू 52.69 करोड़
(iv)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	: उक्त के अलावा अन्य कोई विकल्प नही।
(v)	लगत लाभ विश्लेशण	: संलग्न है।
(vi)	रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है।	: लगभग 5.00 लाख मानव दिवस रोजगार का श्रृजन होगा।
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण	: 9.00 हे0 (संरक्षित वनभूमि 9.00 हे0) (विवरण संलग्न है)
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई है।	:
(i)	परिवारों की संख्या	: नहीं।
(ii)	अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	: नहीं।
(iii)	पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	: लागू नही।
4.	क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है ।	नही पर्यावरण निदेशालय का पत्र संख्या 641/ENV/SEAC/794/2011/JDCA दिनांक 05.07.2011 सलग्न है।
5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जायें)	: संलग्न है।
6.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा ।	: विवरण सूची संलग्न है।

तिथि :– / /2015

स्थान – लखनऊ ।

महाप्रबन्धक (तकनीकी–पूर्व)
उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा),
लखनऊ।